15

# न्यायालय श्रीमान् सदस्य राजस्व मण्डल ग्वालियर केम्प सागर

Rulg - I-17

नन्दकिशोर पिता श्री जगन्नाथ प्रसाद पारासर
निवासी बीना तह.बीना जिला सागर म.प्र. .....निगरानीकर्ता/आवेदक

विरूद्ध

1. बिहारीलाल पिता श्री भगुन्त साहू
निवासी ग्राम कलरावनी तह.बीना जिला सागर म.प्र.

2. प्रवीण कुमार पिता श्री छबील चन्द जैन
निवासी बीना इटावा तह.बीना जिला सागर म.प्र. .....उत्तरवादीगण/अनावेदकगण

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू राजस्व संहिता 1959

निगरानीकर्ता/आवेदक श्रीमान् नायब तहसीलदार वृत परसोरिया जिला सागर के राजस्व प्रकरण कमांक 85अ/6 वर्ष 2015–16 में पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 19.01.2017 से परिवेदित होकर नीचे लिखे तथ्यों एवं आधारों का निगरानी याचिका प्रस्तुत करता है–

1. यह कि संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि अनावेदक कमांक 1 ने ग्राम बीना इटावा पटवारी हल्का नम्बर 19/51 तह.बीना की भूमि बेनामा दिनांक 02.01.1964 के आधार पर 1332 वर्गफुट भूमि के नामान्तरण हेतु श्रीमान् तहसीलदार बीना के न्यायालय में प्रस्तुत किया था। उक्त भूमि के विकेता प्रवीण कुमार आवेदक द्वारा अनावेदक कमांक 1 को कभी कोई भूमि विकय नहीं की गई है, इस सम्बन्ध में आवेदक द्वारा अपना विस्तृत जबाव श्रीमान् तहसीलदार बीना के न्यायालय में प्रस्तुत किया था परन्तु अनावेदक द्वारा उक्त प्रकरण स्थानान्तरित कराया गया। वर्तमान में प्रकरण श्रीमान् नायब तहसीलदार वृत परसोरिया के न्यायालय में विचाराधीन है। आवेदक द्वारा श्रीमान् नायब तहसीलदार परसोरिया के न्यायालय में एक आवेदन आदेश 7 नियम 11 सी पी सी सहपठित धारा 32 म.प्र.भू.राजस्व संहिता का इस आशय का प्रस्तुत किया कि आवेदक द्वारा अनावेदक कमांक 1 को अपने स्वामित्व की भूमि खसरा नंबर 326 जिसका नया खसरा नंबर 423 के रकवा 0.96 डिसमिल भूमि में से कोई विकय अनावेदक कमांक 1 व 2 को नहीं किया है। अनावेदक कमांक 2 का विकय दिनांक के पूर्व से लेकर अभी तक राजस्व रिकॉर्ड में नाम दर्ज नहीं है और न ही ऐसा कोई राजस्व अभिलेख न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। अनावेदक कमांक 1 द्वारा कथित बेनामा के आधार पर नामान्तरण की कार्यवाही की गई है ऐसी स्थिति में बेनामा संदेहास्पद होने से बिना सिविल न्यायालय से स्वत्व का निर्धारण कराये, नामान्तरण की कार्यवाही कराया जाना उचित नहीं है। आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन में उठाई गई विधिक आपत्तियों का निराकरण न करते हुए आवदेक का आवेदन दिनांक 19.01.2017 को निरस्त कर दिया जिसके विरूद्ध यह निगरानी याचिका श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत है।

XXXIX(a)-BR(H)-11

# राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

निगरानी प्रकरण क्रमांक– 418 /1/2016 जिला– सागर

| स्थान तथा दनांक | कार्यवाही तथा आदेश<br><br>नंदकिशोर वनाम बिहारी व अन्य | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 1-2-17 | 1– आवेदक के बिद्वान अधिवक्ता श्री के0 एस0 निगम ने यह निगरानी अधिनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार बृत परसोरिया, जिला सागर द्वारा प्र0क0 85/अ–6/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 19/01/2017 से दुखित होकर प्रस्तुत की है। केवियटकर्ता अधिवक्ता श्री शिवप्रसाद पटैल उपस्थित। उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्तागण के तर्क श्रवण किये। प्रश्नाधीन आदेश एवं दस्तावेजों का अवलोकन किया गया।<br>2– प्रकरण में प्रमुख बिबाद बिकयपत्र के आधार पर नामांतरण के संबंध में है। जिस वावद प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय में बिचाराधीन है। जिसकी प्रचलनशीलता के संबंध में आवेदक की ओर से एक आवेदनपत्र अंतर्गत आदेश 07 नियम 11 सी0पी0सी0 का अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। जिसे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 19/01/2017 को निरस्त करके प्रकरण साक्ष्य व तर्क वावद दिनांक 04/02/2017 को नियत किया है।<br>3– प्रश्नाधीन आदेश के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रकरण में मुख्य बिबाद बिकयपत्र के आधार पर नामांतरण को लेकर है। जिस हेतु संहिता की धारा 109, 110 में नायब तहसीलदार को सुनवाई का क्षेत्राधिकार है। अभी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अंतिम आदेश पारित नहीं किया है, प्रकरण में बिचारण शेष है। जिसमें आवेदक को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त होगा।<br>अतः आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी इसी स्तर पर प्रचलन योग्य न होने से निरस्त की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि, उभयपक्षों को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुये प्रकरण का निराकरण एक माह में गुणदोषों के आधार पर करें।<br><br>सदस्य | |